Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding illegal immigration of Bangladeshis.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदया, अभी देश में जो एनआरसी का मुद्दा और खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठा हुआ है, मैं आपके माध्यम से उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं भी इस मुद्दे का एक फरीख हूँ। देश में इस मुद्दे को भूलने की बीमारी है। कोनराड एल्स्ट एक बड़ी अच्छी किताब निहिलिज्म इन इंडिया लिखी। वर्ष 1905 में ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का विभाजन हुआ। बिहार उस वक्त वेस्ट बंगाल का पार्ट था। इस कारण से वर्ष 1905 का जो दर्द है, बिहार से बंटवारा होने के बाद झारखंड बना, जो पूरी डेमोग्राफी बदली है, उस मुद्दे को मैं सदन में उठाना चाहता हूँ। वर्ष 1905 में यह डिविजन हुआ और इसके बाद लगातार ईस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में माइग्रेशन होता रहा। असम के मिस्टर गोगोई यहाँ बैठे हुए हैं, गोपीनाथ बोरदोलोई ने एक बड़ा ऐजिटेशन किया और उन्होंने कहा कि ईस्ट बंगाल के लोग वेस्ट बंगाल में बस रहे हैं और खासकर असम में श्यालेट जगह पर बस रहे हैं। कांग्रेस ने जब वर्ष 1949 में गोपीनाथ बोरदोलोई का इस्तीफा दिलाया और जब सइदुल्लाह असम के मुख्य मंत्री बने, तो उन्होंने एक लाख एकड़ जमीन ईस्ट बंगाल के... * को बसने के लिए दे दी, जिसके कारण यह समस्या बढ़ गई।...(व्यवधान) इसके बाद इसी कांग्रेस के मुख्य मंत्री चलिहा बने।...(व्यवधान) आप इन बातों को सुनिए।...(व्यवधान) इतिहास बदला नहीं जा सकता है।...(व्यवधान) जो चलिहा थे, उन्होंने इसके खिलाफ एक बड़ा आन्दोलन किया।...(व्यवधान) मैं आपको बताऊँ कि वर्ष 1964 में असम में एक Prevention of Infiltration from Pakistan, PIP Act 1964 बना।...(व्यवधान) यही कारण था कि उस एक्ट को उस वक्त के तत्कालीन प्रधान मंत्री ने लागू नहीं होने दिया।...(व्यवधान) आज स्थिति यह है कि वर्ष 1931 के पॉपुलेशन सेंसस के बाद यह सिचुएशन डेवलप हुई कि धीरे-धीरे मुसलमानों की आबादी बढ़ती गई।...(व्यवधान) लगातार कभी बिहार में, कभी बंगाल में, कभी वेस्ट बंगाल में ये चीजें बढ़ती रहीं।...(व्यवधान) मैं आपको बताता हूँ कि वर्ष 1981 में असम में सेंसस नहीं हो पाया।...(व्यवधान) आपने लगातार चार मुख्य मंत्री बदले।...(व्यवधान) आज डीलिमिटेशन के कारण, जहाँ से मैं सांसद बना हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे।

निशिकान्त जी, आपकी बात पूरी हो गई है।

...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे: महोदया, मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि झारखंड में सेंसस नहीं हो पाया, नॉर्थ-ईस्ट में नहीं हो पाया, डीलिमिटेशन नहीं हो पाया, जम्मू-कश्मीर में नहीं हो पाया और इसी कारण से यह आबादी बढ़ रही है।...(व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को बचाइए।...(व्यवधान) जिस तरह से असम में आई.एम.डी.टी. एक्ट के नाते कांग्रेस ने तंग किया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे।

…(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : महोदया, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ।…(व्यवधान) पूरे देश में एनआरसी लागू कीजिए और खासकर वेस्ट बंगाल के पुराने इलाके में ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :

श्रीमती किरण खेर,

डॉ. मनोज राजोरिया,

श्री शिवकुमार उदासि,

श्री सुमेधानन्द सरस्वती,

डॉ. संजय जायसवाल,

श्री देवजी एम. पटेल,

डॉ. किरिट पी. सोलंकी,

श्री नारणभाई काछड़िया,

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल,

श्रीमती ज्योति धुर्वे,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री रोड़मल नागर,

श्री अजय मिश्रा टेनी,

श्री जॉर्ज बेकर,

श्री रवीन्द्र कुमार राय,

श्री सुनील कुमार सिंह,

श्री विद्युत वरण महतो,

श्री विष्णु दयाल राम,

श्री शरद त्रिपाठी,

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और

कुमारी शोभा कारान्दलाजे को श्री निशिकान्त दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी आप बोलना शुरू कीजिए।

प्रो. सौगत राय: महोदया, यह रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will see it. I will go through it and delete it.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं रिकॉर्ड को देखूँगी और डिलीट करूँगी।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Let me go through it.

... (*Interruptions*)